

RTI REQUEST DETAILS	
Registration No. : PGCIL/R /2017/50508	Date of Receipt : 09/12/2017
Type of Receipt : Online Receipt	Language of Request : English
Name : BINAY KUMAR	Gender : Male
Address : MIG-21/A, , HOUSING COLONY, BARTAND, DHANBAD, JHARKHAND, Pin:826001	
State : Jharkhand	Country : India
Phone No. : Details not provided	Mobile No. : +91-7781014789
Email : kumarbinay321@gmail.com	
Status(Rural/Urban) : Urban	Education Status :
Is Requester Below Poverty Line ? : No	Citizenship Status Indian
Amount Paid : 10)	Mode of Payment Payment Gateway
Request Pertains to :	
Information Sought : Request Application is uploaded in Supporting documents.	
<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Close"/>	

2017/12

Xn (A) +N

2017 11/12

5 (A21)

HR

PGCIL के MEDICAL ATTENDANCE & TREATMENT RULES की धारा - 1.1 के अनुसार Trainees एवं उसका परिवार (families) इस नियमावली के तहत मिलनेवाली सुविधाओं का लाभ लेने का हकदार है । साथ ही धारा - 2.5 के अनुसार माता-पिता को कर्मचारी का परिवार (family) माना गया है, यदि वे (माता-पिता) कर्मचारी पर आश्रित हों । परन्तु कुछ लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि Trainees को प्रशिक्षण के दौरान केवल स्वयं (self) की चिकित्सा सुविधा ही PGCIL प्रदान करता है और इस अवधि में आश्रित को चिकित्सा सुविधा का लाभ PGCIL द्वारा प्रदान नहीं की जाती है । अतः इस संबंध में निम्न सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाए

1. अगर Trainee के आश्रित को Trainee के प्रशिक्षण अवधि के दौरान चिकित्सा सुविधा का लाभ देय नहीं है तो ऐसा जिस नियम के तहत है, उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए ।
2. अगर Trainee के आश्रित को Trainee के प्रशिक्षण अवधि के दौरान चिकित्सा सुविधा का लाभ देय है और आश्रित व्यक्ति यदि किसी असूचिवद्ध निजी अस्पताल में, जो कि Trainee के नियुक्ति प्रक्षेत्र से बाहर है, इलाज करवाना चाहता है तो इस स्थिति में Medical Reimbursement प्राप्त करने हेतु आवेदन देने से पहले Trainee द्वारा किन-किन प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है । विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए ।